

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
11/20	88, 89, 91, 92A 188 RTM	विज्ञान खेडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मातृशाला को	बनाम	शमलाल को	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

10/20

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92A 188 RTM आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 5/2/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला-बारां

5/2/20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामील समत अग्रस्त। वास्तु इंतजार समत पत्रावली दिनांक 5/2/20 को पेश हो।

24/20

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. महबूब कानून कापी हेतु बारां पधारें हैं। अतः पूर्ववत पत्रावली वास्तु इंतजार समत दिनांक 31.03.20 को पेश हो।

31/20

अंतर्गत अग्रस्त प्रकरण में न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4/5/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

4/5/20

अंतर्गत अग्रस्त प्रकरण में न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4/5/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

30/8/22

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 14/11/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

14/11/22

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

20/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रदीप कुमार उपास्थित। वकील प्राणी द्वारा प्रतिवादी कुरु। ता 4 एंक्ट ता 12 के तलकी समान रजि. अ. व. तलबना आज ही पेश करें। अंतिम अवसर दिभा जाता है। तलबना पेश नहीं होने पर आगामी पेशी पर प्रकरण में कार्य बंदी उसी स्तर पर ड्राफ्ट कर दी जावेगी। वरिष्ठ तलबी/तलबना पत्रावली दिनांक 8/1/23 को पेश हो।

8/2/23

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 10/4/23 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

10/4/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी उपास्थित नहीं। वकील एवं प्राणी को तीन बार आज लगाई गई। कोई भी उपास्थित नहीं। प्रकरण अदम्य हाजरी अदम्य पेश की रवारीज दिभा जाता है। पत्रावली फैसल सुनकर होकर दारिजल दफतर डी।